

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 8, 1980/अश्विन 16, 1902
No. 472] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1980/ASVINA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

अज्ञेय

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1980

का०आ० 840(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणों के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट कीमतों को उप अत्रिक्रम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त सारणों के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देणी रूप से विनिर्मित प्रपुंज औषधियां बेची जाएंगी।

सारणी		
क्रम सं०	औषधि का नाम	अधिकतम विक्रय मूल्य (₹०/कि०ग्रा०)
1	2	3
1.	एसिटैजोलामाइड	564-56
2.	एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड	487-56
3.	फोलिक एसिड	2631-62
4.	सल्फासेटामाइड	172-97
5.	सल्फासेटामाइड सोडियम	113-10
6.	सल्फाडाइमाइडाइन	178-56

[सं० 8(22)/80 औषधि-II]

आर० एन० दास, उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS
(Deptt. of Chemicals and Fertilizers)

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1980

S.O. 840(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the price as specified in column (3) of the Table hereto annexed as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the Corresponding entry in column (2) of the said Table shall be sold.

TABLE

S. No.	Name of the Drug	Maximum Sale price (Rs./kg.)
1.	2	3
1.	Acetazolamide	564.56
2.	Ephedrina Hydrochloride	487.56
3.	Folic Acid	2631.62
4.	Sulphacetamide	172.97
5.	Sulphacetamide Sodium	113.10
6.	Sulphadimidine	178.56

[No. 8(22)/80-D.II]
R. N. DAS, Dy. Secy.